

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 68/2025

GCMS NO 2025/109



हरिकिशन पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी रोडकलां तहसील व जिला करौली
अपीलांत

बनाम

रूप सिंह पुत्र रामजीलाल गुर्जर (मृतक) जरिये विधिक वारिसान:-

1. संतरा देवी बेवा रूप सिंह
2. राजीव पुत्र रूपसिंह
3. संजीव पुत्र रूप सिंह
4. कमलेश पुत्री रूप सिंह
5. मित्तल पुत्री रूप सिंह
6. रीना पुत्री रूप सिंह सभी जातियान गुर्जर निवासीयान रोडकलां तहसील व जिला करौली
7. तहसीलदार लैण्ड होल्डर जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरुद्ध मु0नं0 5/18 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.5.25 न्यायालय सहायक कलक्टर, करौली)
अभिभाषक अपीला0 श्री ऐश्वर्य सिंह
अभिभाषक रेस्पो0 श्री नेमी चंद गर्ग

दिनांक 28.8.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 27.5.25 न्यायालय सहायक कलक्टर, करौली पेश है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पो0 ने एक वाद पत्र घोषणा खातेदारी इस आशय का पेश किया कि आराजीयात ख0न0 1092,1093 कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 19 विस्वा वाके ग्राम रोडकलां तहसील व जिला करौली मे स्थित भूमि वादी के पिता रामजीलाल पुत्र रामनारायण की है। वादी के पिता रामजीलाल का स्वर्गवास हो चुका है। उनके मरने के बाद उनका वादी एक मात्र वारिस उत्तराधिकारी है। उक्त जमीन पर वादी का कब्जा काशत चला आ रहा है। उक्त आराजीयात में मौके पर वादी की गेहू की फसल सरसब्ज खडी है। उक्त आराजीयात में प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई संबंध वास्ता नहीं रहा है ना ही अब है। प्रतिवादी न0 1 हरिकिशन प्रतिवादी न0 2 का पुत्र है। उक्त आराजीयात प्रतिवादी न0 1 का कोई हक हकूक नहीं है। प्रतिवादी न0 1 केरुकी तरीके से रामजीलाल का पुत्र बनकर उक्त आराजीयात में जबरन वारिस बनना चाहता है। जबकि प्रतिवादी न0 1 हरिकिशन गंगदेव का पुत्र है और गंगदेव की जमीन जायदाद पर काबिज है। वादी की उक्त आराजीयात में कोई हक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लेकिन जबरन झगडा फसाद करता है और उक्त जमीनो से बेदखल करने की धमकी प्रतिवादी न0 1 ता 6 देने लगे है। उक्त जमीनो में से आधा हिस्सा लेने की धमकी देते है। इनका वादी के पिता रामजीलाल की जमीन जायदाद में कोई हक हिस्सा नहीं है ना ही उनका वारिस है ना पुत्र है। प्रतिवादी न0 1 का सभी सरकारी रिकार्ड में हरिकिशन पुत्र गंगदेव नाम दर्ज है। प्रतिवादी न0


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर




1 फर्जी तरीके से मेरे पिता रामजीलाल का गलत तरीके से वारिस बनने की योजना बना कर आधार कार्ड व राशन कार्ड मे तरमीम कराने की कोशिश की जिस पर वादी ने पुलिस थाना करौली मे एफ आई आर संख्या 102/16 दर्ज कराई इससे नाराज होकर प्रतिवादी मुझे परेशान कर रहे है। मेरे पिता की खातेदारी की जमीन व मेरे कब्जे काशत की जमीन मे झगडा फसाद करने पर आमदा है। मुक्तक रामजीलाल पुत्र रामनारायण का एक मात्र उत्तराधिकारी है जिसे जिला एवं सेशन न्यायाधीश करौली द्वारा उत्तराधिकारी घोषित किया जाकर प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है। प्रतिवादी ने उक्त उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र को निरस्त कराने का प्रार्थना पत्र जिला एवं सेशन न्यायाधीश करौली के यहाँ प्रस्तुत की थी जिसे मनीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के पिता की खातेदारी को उक्त आराजीयात मे अपने नाम का विरासत का नामा0 कराने हेतु ऐलानिया धमकी दी गई तथा उक्त आराजीयात से बेदखल करने की धमकी भी दी गई। प्रतिवादीगण जबरन वादी को उक्त आराजीयात से जबरन बेदखल करने पर आमदा है। अतः उक्त आराजीयात का वादी को तन्हा खातेदार काशतकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे उक्त आराजी मे वादी को काशत करने मे किसी प्रकार की बाधा, रुकावट ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे ना ही बेदखल करे वादी को शांतिपूर्वक काशत करने देवे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्प0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्प0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।


अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो,रिकार्ड एवं साक्ष्यो के प्रतिकूल होने से एवं विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री आर्वेटरी परवर्स अपीलांट है विधि के सुस्थापित सिद्धान्त के विपरीत पारित किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने जैर निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली मे उपलब्ध अपीलांट की जबाबदेही व उसके सर्मथन मे प्रस्तुत दस्तावेजात पर गौर नही किया है ना ही इस तथ्य की और गौर किया कि अपीलांट गंगदेव का पुत्र न होकर रामजीलाल का पुत्र है। तथा स्वयं वादी रूप सिंह का खास भाई है। इसके अतिरिक्त जबाब दावा के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है। जो सभी अपीलांट को रामजीलाल का पुत्र होना साबित करते है। अधिनस्थ न्यायालय मे मुताबिक आदेशिका अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 3.4.25 को हिदायत पैरवी ना होना अंकित किया जिसके आधार पर नियमानुसार अधिनस्थ न्यायालय को अपीलांट को नोटिस भेजा जाना आवश्यक था। जो आज दिवस तक प्रार्थी अपीलांट को प्राप्त नही हुआ। इससे स्पष्ट है कि रेस्प0 द्वारा मिलीभगत करके न्यायालय को लता देकर प्रकरण मे अपीलांट के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही बिना कोई नोटिस जारी किये करवाई और अननतः दिनांक 8.4.25 को गलत तरीके से एक पक्षीय कार्यवाही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अमल मे लाई गई। अधिनस्थ न्यायालय ने पेज न0 4 पर


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर



अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिलकुल गलत तरीके से यह अंकित किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य शपथ पत्र दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये हैं और साक्ष्य प्रस्तुत करने के काफी अवसर दिये गये हैं तथा उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 8.4.25 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। उक्त निर्णय पूर्णतः रिकार्ड के विपरीत है। अपीलांत को बिना कोई नोटिस दिये बिना अपीलांत का पक्ष सुने एक पक्षीय कार्यवाही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तरीके से अमल में लाते हुए डिक्री पारित की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांत को पूर्व में नहीं थी दिनांक 23.6.25 को अपीलांत को हल्का पेशवासी ने उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी दी। तत्पश्चात अपीलांत ने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तब उनके द्वारा न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से एक पक्षीय निर्णय अपीलांत को बिना नोटिस दिये ही जारी किया गया है। तब अपीलांत द्वारा डिक्री व निर्णय की नकल ली गई। अधिनस्थ न्यायालय के एक पक्षीय निर्णय व डिक्री के आधार पर रेस्पो0 जमाबंदी इन्द्राजात में फेरबदल करने पर उतारू है। यदि दौराने अपील रेस्पो0 अपने मकसद में कामयाब हो गये तो अपीलांत का अपील पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। जिसकी काफी हद तक तल्फी भी अपीलांत वहन करनी होगी जिसकी पूर्ति जरे नकद कतई संभव नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री जैर अपील मृतक व्यक्ति गंगदेव के विरुद्ध पारित होने के कारण भी निरस्त योग्य है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.5.25 को निरस्त किया जाकर अपीलांत को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजीयात से अपीलांत का किसी प्रकार का कोई संबंध वास्तु नहीं है। अपीलांत द्वारा बार बार कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय निर्णय पारित किया है जबकि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांत/प्रतिवादीगण बकालतन उपस्थित हुए हैं एवं उनके द्वारा जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया है। जिससे अपीलांत का उक्त कथन झूठा साबित होता है। अपीलांत ने अपील में स्वयं स्वीकार किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं जबाब देही पर गौर नहीं किया है। इससे अपीलांत का उक्त कथन झूठा साबित होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय निर्णय पारित किया है। जबकि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत/प्रतिवादीगण को साक्ष्य शपथ पत्र व दस्तावेजी सबूत पेश करने हेतु काफी अवसर प्रदान किये गये थे परन्तु उनके द्वारा किसी प्रकार की साक्ष्य पेश नहीं करने एवं उपस्थित नहीं होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता रूप से एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिनांक 8.4.25 को दिये गये हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड एवं वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों एवं स्वतंत्र गवाहों के बयानों के आधार पर एवं प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण किये जाने के उपरान्त एवं मुताबिक दस्तावेजों से रामजीलाल का एक मात्र वारिस रूप सिंह को माना जाकर ही आराजी ख0न0 1092,1093 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1 बीघा 19 विस्वा वाके ग्राम ग्राम रोडकलां तहसील करौली में रामजीलाल पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर के स्थान पर वादीगण 1


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

ता 6 को खातेदार काश्तकार विधिवत रूप से घोषित किया है तथा रामजीलाल पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर का नाम हजफ किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांत अधिवक्ता का कथन रहा कि दौराने दावा गंगदेव फौत हो चुका था जिसके विरुद्ध अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। जबकि अपीलांत द्वारा उक्त तथ्य के समर्थन में यह नहीं बताया है कि गंगदेव की मृत्यु किस दिनांक को हुई है। जबकि सत्यता यह है कि यदि दौराने दावा गंगदेव की मृत्यु हुई थी तो उनकी तरफ से नियुक्त अधिवक्ता को इस तथ्य की जानकारी न्यायालय को उपलब्ध करानी चाहिए थी। जिससे मृतक गंगदेव के कायम मुकाम की कार्यवाही की जा सकती। इससे स्पष्ट है कि प्रकरण के अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन रहते प्रकरण के प्रति सजग नहीं रहे हैं जिससे उनकी कार्य प्रणाली उदासीनता की धोतक है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड एवं वादी एवं प्रतिवादी की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का विधिपूर्वक विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांत की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि पक्षकारों के मध्य मुख्य विवाद रामजीलाल की आराजीयात को लेकर है। अपीलांत अधिवक्ता के कथन अनुसार अपीलांत हरिकिशन, रामजीलाल का पुत्र है इसी प्रकार रेस्पो० के अधिवक्ता का कथन है कि हरिकिशन रामजीलाल का पुत्र नहीं होकर गंगदेव का पुत्र है। रामजीलाल का एक मात्र वारिस रूपसिंह है। अपीलांत अधिवक्ता का कथन रहा कि दौराने दावा गंगदेव फौत हो चुका था। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मृतक के खिलाफ किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि गंगदेव की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता नियुक्त था, यदि गंगदेव दौराने दावा फौत हो गया था तो प्रतिवादी की जिम्मेदारी थी कि इस तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय के ध्यान में लाया जाता है। जो उनकी अहम जिम्मेदारी थी। इस तथ्य को प्रतिवादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण अपने प्रकरण के संबंध में गंभीर नहीं रहे हैं। इसी प्रकार अपीलांत अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण के ओर से हिदायत पैरवी किये जाने के उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। यहाँ यह तथ्य स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय में जबाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश करने के पश्चात हिदायत पैरवी करने पर अधिवक्ता को पक्षकारों को स्वयं को सूचित करना चाहिए। इस प्रकार अपीलांत का यह कथन कानूनन मान्य नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर वादी एवं प्रतिवादी की साक्ष्य ली गई है। प्रतिवादी/अपीलांत किसी भी तनकी को साबित करने में सफल नहीं रहे हैं। जबकि तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने का भार वादी पर था। जिसके समर्थन में वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 पेश की है। जिसमें विवादित आराजीयात रामजीलाल पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर के नाम वाके ग्राम रोडकलां तहसील करौली में खातेदारी दर्ज है। जिसके विरोध में प्रतिवादी/अपीलांत द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। इसी प्रकार रामजीलाल का पुत्र साबित करने के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली प्रदर्श 22 व प्रदर्श 23

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

एवं पंचायत मतदाता सूची प्रदर्श 24 एवं उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिनांक 9.3.16 पेश किये है जिससे रूपसिंह को रामजीलाल का पुत्र होना साबित माना है। इसके विरोध में भी प्रतिवादी/अपीलाट द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 ता 5 का सम्पूर्ण दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन कर वादी के पक्ष में निर्णित की गई है। जिनमें वादी को रामजीलाल का एक मात्र वारिस माना गया है। इस प्रकार रामजीलाल की आराजीयात में अपीलांट हरिकिशन का किसी प्रकार कोई अधिकार नहीं माना है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से अपील एवं प्रतिवादीगण की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का विवेचन करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार कोई विधिक त्रुटि नहीं है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज होने से खारिज किये जाने योग्य है।



अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के प्रकरण संख्या 5/18 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.5.25 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.8.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्थान अपील प्रार्थिकाारी
सवाई माधोपुर